लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 671
दिनांक 01.12.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना

671. **डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:**
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
श्री सी.एन. अन्नादुरई:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
श्री धनुष एम. कुमार:
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:
श्री गौतम सिगामणि पोन:
श्री जी. सेल्वम:
श्री गजानन कीर्तिकर:
श्री कुलदीप राय शर्मा:

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) लागू कर रही है;
(ख) यदि हां, तो योजना के लिए वित्तीय आवंटन के साथ-साथ देश में इसके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;
(ग) महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में कितने मेगा हैंडलूम क्लस्टर कार्यान्वित किए जा रहे हैं;
(घ) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के और चालू वर्ष के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार इस योजना के तहत कितनी ग्रीन और ब्राउन फील्ड परियोजनाओं का चयन किया गया है;
(ङ) योजना के तहत दी जा रही सुविधाओं और प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या सीएचसीडीएस के तहत महाराष्ट्र में बड़े हथकरघा समूहों के विकास के लिए कोई प्रस्ताव अनुमोदन के लिए लंबित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्रीमती दर्शना जरदोश)

(क) और (ख): मेगा हथकरघा क्लस्टर के एकीकृत और समग्र विकास के लिए इसके कार्यान्वयन हेतु व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) को राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के तहत वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 के दौरान शामिल किया गया है, जिसमें 5 साल की अवधि में कम से कम 10,000 हथकरघों के लिए 30.00 करोड़ रु. की केंद्रीय वित्तीय सहायता शामिल है।

(ग) और (घ): विभिन्न वार्षिक बजटों में घोषणा के अनुसार, 08 मेगा हैंडलूम क्लस्टर अर्थात वाराणसी (उत्तर प्रदेश), शिवसागर (असम), विरुधुनगर (तमिलनाडु), मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल), प्रकाशम और गुंटूर जिले (आंध्र प्रदेश), गोड्डा और पड़ोसी जिले (झारखंड), भागलपुर (बिहार) और त्रिची (तमिलनाडु) कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, शिवसागर मेगा हथकरघा क्लस्टर के तहत काजीरंगा में एक हरित परियोजना "रिटेल आउटलेट" को 2018-19 में लिया गया है।

(ङ) : मेगा हथकरघा क्लस्टरों में, आवश्यकता आधारित अंतःक्षेपों जैसे हथकरघा संवर्धन सहायता, उत्पाद विकास/विविधीकरण, बाजार विकास, निर्यात और प्रचार, तकनीकी/सामान्य अवसंरचना का विकास, मूल्य वर्धन इकाइयों जैसे गारमेंटिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट मुद्रण इकाई आदि की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। परियोजना लागत का 80% भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है जबकि भूमि सहित परियोजना लागत का 20% राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाता है।

(च) : वस्त्र मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

***